भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2297

उत्तर देने की तारीख : 20.12.2022

हिंदू धर्म में अस्पृश्यता समाप्त करना

2297 डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

श्री एस. रामलिंगम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईसाई और इस्लाम धर्मों में अस्पृश्यता प्रचलित नहीं है जिसके कारण इनमें से किसी भी धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता अभी भी मौजूद/प्रचलित है जिसके कारण देशभर में हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देशभर में हिंदू धर्म में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि देशभर में अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से दलित मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) और (ख): किसी जाति/समुदाय के अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्देशन हेतु किया जाने वाला परीक्षण अत्यंत सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन का विषय है जो अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा से उत्पन्न है और समतावादी धर्म होने के नाते इसकी इसाई तथा इस्लाम दोनों धर्मों में मान्यता नहीं है।

(ग): संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध है। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया गया है जिसमें अस्पृश्यता की प्रथा के लिए दंड का प्रावधान है।

(घ): अनुसूचित जातियों से इसाई तथा इस्लाम में धर्मांतरित लोगों को एससी का दर्जा देने हेतु उच्चतम न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। इस प्रकार यह मामला न्याय निर्णयाधीन है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय-समय पर जारी राष्ट्रपति आदेश में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरित तथा ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति का होने का दावा करने वाले नए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने संबंधी विषय की जांच करने के लिए दिनांक 06.10.2022 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.4742(ई) के अंतर्गत जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

*****